संख्या–वे0आ0–2–294 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) में परिवार कल्याण विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा परिवार कल्याण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

(1) जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) परिवार कल्याण महानिदेशालय में सांख्यिकीय संवर्ग के शोध अधिकारी के पद को संख्याविद् के पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय और भर्ती की वही प्रक्रिया रखी जाय जो शोध अधिकारी के पद हेतु वर्तमान में निर्धारित है। साथ ही डेमोग्राफर के पद पर शोध अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था की जाय।

(3) वेतन समिति की निम्न संस्तुतियों को सुझाव के रुप में स्वीकार किया जाये :––

(क) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए शासनादेश संख्या–4592/5–12–95–3 (आई0पी0 पी0–6)/91, दिनांक 10–11–1995 द्वारा आस्थगित सहायक निदेशक के 04 पद तथा शोध अधिकारी का 01 पद को अवमुक्त किया जाय।

(ख) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जाय।

(ग) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिऐट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों का

सुसंगठित ढ़ॉचा (पदनाम, वेतनमान एवं अर्हता/भर्ती की प्रकिया), अन्य विभागों में शोध अध्ययनों आदि से सम्बन्धित शैक्षिक संवर्ग के लिये निर्धारित ढ़ॉचे (पदनाम, वेतनमान एवं अर्हता/भर्ती की प्रकिया), के अनुरूप रखा जाय। साथ ही तत्क्रम में उक्त पदों की सेवा नियमावली भी प्रख्यापित की जाय। अन्य विभागों के शैक्षिक पदों के ढ़ॉचे (पदनाम, वेतनमान एवं अर्हता/भर्ती की प्रकिया) के अनुरूप रखा जाय। तदोपरान्त उक्त पदों की नियमावली भी निर्गत की जाय।

(घ) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए संस्थान को सुदृढ़ किया जाय। उक्त संस्थान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान को चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव के अधीन रखने के स्थान पर मुख्य सचिव के अधीन रखे जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाय।

2– कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु पूर्व प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–3 में सुझाव के रुप में स्वीकार की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें। पूर्व प्रस्तर–1 शेष निर्णयों के क्रम में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–294 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।